

(६)

# FORM NO. III

2023/117

## फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम  
बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़

किस्म मुकदमा केचुराड बनाम शुभा कुल  
नं. 80/2023 सन्

प्रा.पत्र 128

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9/5/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा.....<u>रुद्रमालिघा</u>..... ग्राम.....<u>278, 280, 284, 286, 288, 613</u>.....की आ.न.....<u>69, 288, 3-11</u>.....की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे। प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये <u>3500/-</u> वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुकमनामा जारी होकर फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	

  
उपखण्ड अधिकारी  
बडीसादडी

